

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 35 / 2024

निर्णय दिनांक : 13.07.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 91

दायर दिनांक - 08.04.2024

धर्मसिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमडी विदावतान तहसील
सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-


1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह एडवोकेट उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।


निर्णय


संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम निमडी विदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के निवासी है जिनके रोही ग्राम निमडी विदावतान तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 34 के खसरा संख्या 198/188, खसरा संख्या 199/71, व खसरा संख्या 201/175 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में धन्नेसिंह पुत्र रामनाथसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, परिवार का राशन कार्ड आदि में धर्मसिंह पुत्र रामनाथ सिंह दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही निमडी विदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है।


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़



सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम धर्मसिंह पुत्र रामनाथ दर्ज है। धन्नेसिंह धर्मसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में धर्मसिंह रामनाथ सिंह किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, परिवार का शन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम में धर्मसिंह पुत्र रामनाथ सिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम निमडी बिदावतान तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 34 के खसरा संख्या 198/188 रकबा 2.6554 हैक्टेयर, खसरा संख्या 199/71 रकबा 3.4141 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 201/175 रकबा 1.1127 हैक्टेयर खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ में सदरज खातेदार धन्नेसिंह पुत्र रामनाथसिंह स्थान पर धर्मसिंह पुत्र रामनाथ सिंह दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
लोक अदालत
सुजानगढ़


पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
लोक अदालत
सुजानगढ़


रेव्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
लोक अदालत
सुजानगढ़